

7.1.20

पत्तावली के अंतर्गत वादीगण एवं वाहीगण अधिकारिता
आवृत्त। एक एक कर तीव्र कार्रवाई
लगाई गई कोई अव्यय नहीं हुआ। ऐसे
अब प्रतीत होते हैं वादीगण एवं वकील
वाहीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं
हैं। अतः वाद इतिहास पर अफसोस
व अटक देखीने खरीज किया जाता है।
पत्तावली के अंतर्गत अफसोस के अंतर्गत से कम
लेकर हरिबल दफ्तार है।

